झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 468 / 2022–66/21-22 / राँची, दिनांक– 31.03.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू , राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 484.35 करोड़ (रुपये चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत।

2. देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 484.35 करोड़ (रुपये चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. देवघर जिलान्तर्गत अवस्थित अजय बराज से अजय नदी के पूर्वी भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है परन्तु पश्चिमी भाग के क्षेत्र में औसतन 1144 mm वार्षिक वर्षापात के उपरान्त भी समुचित सिंचाई के अभाव में बृहत् कृषि योग्य भू–भाग में सुचारु रूप से कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है।

4. सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंडान्तर्गत नदी तल से अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर अवस्थित उक्त कृषि योग्य भूमि में पारम्परिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं होने तथा इस प्रणाली के निर्माण में कृषि योग्य भूमि का व्यापक भू–अर्जन के मद्देनजर, भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना परिकल्पित है।

5. दिनांक– 14.12.2020 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में राज्यान्तर्गत पाईपलाईन योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

D:\Anchal-3\Sikatia Pipe Line Scheme\AA_Sikatiya.doc

उक्त के आलोक में, विहित प्रक्रिया से चयनित परामर्शी के माध्यम से आरम्भिक योजना प्रतिवेदन (PPR) तैयार कराया गया है, जिसमें यथा वांछित एप्रोच चैनल/इन्टेक वेल, पम्प हाउस, पावर सब–स्टेशन, भूमिगत पाईपलाईन, डिलीवरी चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा कंट्रोल मेकैनिज्म का प्रावधान किया गया है।

6. प्रस्तावित योजना के पूरब में अजय नदी, पश्चिम में जामताड़ा रेलवे लाईन, उत्तर में जयंती नदी तथा दक्षिण में ढकवा जलाशय योजना के कमांड क्षेत्र का अंतिम छोर अवस्थित है। योजना में सिंचाई हेतु आवश्यक कुल जल की मात्रा 62.88 MCM आकलित है।

7. उक्त योजनान्तर्गत प्रखंडवार आच्छादित क्षेत्र एवं आबादी की विवरणी निम्नवत् है :–

लाभान्वित प्रखंड	पंचायत	पंचायत की संख्या	ग्रामों की संख्या	कुल आबादी	अनुसूचित जाति की आबादी	अनुसूचित जनजाति की आबादी
सारठ	असनबानो, डिंडाकुली, दुमदुमी, कुकराहा, लगवा	5	38	13203	1740	4000
करों	रानीडी, डिंडाकुली, बिरनगरिया, सल्तार	4	48	22882	3639	5130
विद्यासागर	अलगचुया, बाघबेर, बरादाहा, बरमुंडी, करमाटांड़, माटांड़, मोहनपुर, नवाडीह, फोफन्द, सिताकाँटा,तितुलबंधा, ताराबहल	12	89	57654	5117	9841
जामताड़ा	दखिनबहल, सहरपुर, सूपइडीह	3	18	8475	1415	3796
कुल		**24**	**193**	**102214**	**11911**	**22767**

8. इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सन्दर्भित प्रखण्डों के 24 पंचायतों के 13,164 हे० में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

9. पम्पिंग के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकटिया ग्राम के समीप अवस्थित अजय बराज के Upstream से पम्प मोटर से जल उद्वह कर पाईपलाईन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चकवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

10. किसी कालखंड में अधिक वर्षापात के फलस्वरूप खेतों में जल की आवश्यकता सीमित होने की स्थिति में जल पथांतरित (डाईवर्ट) कर निकटवर्ती जलाशयों को भरने का प्रावधान है, जिससे कि मवेशियों एवं अन्य कार्यों के लिए 193 ग्रामों के 1,02,214 ग्रामीणों को तालाबों के माध्यम से सदैव जल उपलब्ध हो सके।

11. परामर्शी द्वारा आकलित आरंभिक परियोजना लागत राशि रू० 484.35 **करोड़** (रुपये चार सौ चौरासी करोड पैंतीस लाख) मात्र के प्राक्कलन का मुख्य अभियंता, देवघर के स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है एवं मदवार विवरणी निम्नवत् है :–

ABSTRACT OF COST		
Sl. No.	Description	Amount (Rs.)
A	**Survey and Investigation**	**4,11,39,827**
B	**Land Acquisition & Clearances**	**5,00,00,000**
C	**Civil Works**	
	Intake Well Cum Pump House	19,90,71,000
	Rising Main Pipe Line, staff quarter and surge protection	251,10,42,569
	Civil work of delivery chamber	6,98,19,000
	Distribution System	84,29,05,289
	Sub-Total Amount	**362,28,37,858**
D	**Electrical, Electromechanical & Instrumentation**	
	Electromechanical at Intake Well	39,76,44,881
	SCADA	4,65,00,000
	Switch Yard/ Power sub station & other civil works	4,70,00,000
	Sub- Total Amount	**49,11,44,881**
E	**Cost of Scheme excluding land (A+C+D)**	415,51,22,566
F	**Operation and Maintenance Cost for 5 Years (without electricity charges)**	6,15,45,780
G	**Cost of Scheme with OM&M excluding Land (E+F)**	**421,66,68,346**
H	GST @ 12% of G	50,60,00,202
I	Labour cess 1% of (G+H)	4,72,26,685
J	Contingency -0.50% (G+H)	2,36,13,343
K	Capital cost excluding land (G+H+I+J)	**479,35,08,576**
	Total Project Cost (B+K)	484,35,08,576
	Say Rs.	**484,35,08,580**

12. उक्त योजना का Benefit Cost Ratio (B.C. Ratio) 1.07 आकलित है।

13. प्रस्तावित योजना का Turnkey के आधार पर क्रियान्वयन हेतु विभागीय Standard Bidding Document (SBD) में अभियंता प्रमुख के अनुमोदन से योजनानुसार अनुकूलन किया जाएगा। तदनुसार निविदा आमंत्रित कर यथाविहित पद्धति से सुयोग्य संवेदक का चयन किया जायेगा जो SBD की कंडिका 1.2 के आलोक में survey, investigation, collection of design data, design and drawing, preparation of detail project report and approval of the above from competent authorities (State Government/Central Water Commission) for the entire projects and construction of the project according to approved design and drawing of Head works and Distribution system (Complete Project) का कार्य करेंगे एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् पाँच वर्षों तक इसका परिचालन रख–रखाव तथा प्रबंधन भी करेंगे।

चयनित संवेदक को भुगतेय राशि में से वैधानिक लेवी / करों में बदलाव के फलस्वरूप सृजित वित्तीय दायित्व / बचत की प्रतिपूर्ति / समायोजन किया जा सकेगा।

14. चयनित संवेदक द्वारा सुयोग्य एवं प्रशिक्षित मानव बल/ गैर सरकारी संगठन (NGOs) की सहायता से प्रभावी सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली के तहत जल भागीदार संगठन (Water User Association, WUA) गठित करते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर निर्धारित अवधि तक योजना

का समुचित रख–रखाव, परिचालन तथा प्रबंधन किया जायेगा, जिससे कि संवेदक द्वारा राज्य सरकार को योजना हस्तान्तरण के पश्चात सुगमता से निरंतर परिचालन, रख–रखाव तथा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

15. प्रस्तावित योजना का कार्य 3 (तीन) वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

16. पाईपलाइन बिछाने में 300 mm व्यास तक HDPE पाईप, 1200 mm व्यास तक DI पाईप तथा इसके अधिक व्यास का कारखाना सदृश परिष्कृत M.S. पाईप का उपयोग किया जाएगा। गुरुत्व प्रवाह क्षेत्र में Non-Pressure पाईप की आवश्यकता की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक व्यास के समुचित HDPE पाईप का उपयोग किया जा सकेगा।

17. आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार योजनान्तर्गत प्रयुक्त M.S. पाईप 24.02 कि०मी०, DI पाईप 67.17 कि०मी० तथा HDPE पाईप 689.75 कि०मी० का प्रावधान किया गया है। चयनित संवेदक द्वारा सर्वेक्षण एवं विस्तृत रूपांकण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के पश्चात् वांछित अनुमोदनोपरांत पाईपलाईन एवं अन्य सभी सन्निहित मदों का वास्तविक परिमाण निर्धारित हो सकेगा तथा योजनान्तर्गत प्रयुक्त विभिन्न अवयवों के लिए वास्तविक मात्रा के आधार पर मूल्य समायोजन प्रभावी होगा।

18. योजनान्तर्गत समस्त भू–अर्जन एवं मंजूरियाँ प्राप्त करने के क्रम में अधोलिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा।

(i) पाईपलाइन बिछाने में भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1– 2 मी० गहराई तक भूमिगत पाईपलाइन बिछाने हेतु यथाविहित विधि से **झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2018** के तहत मुआवजा का भुगतान कर कार्य सम्पन्न कराया जाएगा, जिसके पश्चात् उक्त भूमि का उपयोग पुनः कृषि कार्य में किया जा सकेगा।

(ii) पम्प हाउस, पावर सब स्टेशन, सम्प, डिलीवरी चेम्बर, भवन इत्यादि निर्माण के लिए यथासंभव सरकारी भूमि का उपयोग किया जायेगा एवं अनुपलब्धता की स्थिति में परियोजना के संवेदक द्वारा वांछित भूखण्ड क्रय/अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई की जाएगी।

स्थायी भू–अधिग्रहण पर भारित व्यय स्थानीय अंचलाधिकारी/भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा आकलित राशि/अधियाचना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) पर्यावरणीय एवं अन्य सभी मंजूरियाँ प्राप्त करने का दायित्व भी परियोजना के संवेदक का होगा, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार को नियमानुसार भुगतेय राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी एवं योजनान्तर्गत भू–अर्जन मद में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

(iv) योजना लागत राशि में भू–अर्जन हेतु प्रावधानित राशि से समस्त स्थायी एवं अस्थायी भू–अर्जन के साथ–साथ सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित सभी मंजूरियाँ प्राप्त करना भी सन्निहित है। संवेदक द्वारा तत्संबंधी समस्त अभिलेख तैयार कर विभागीय अनुमोदनोपरांत सक्षम प्राधिकार से समन्वयन स्थापित करते हुए निर्धारित अवधि में भू–अर्जन/मंजूरी प्राप्त करने की

कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य हेतु संबद्ध सक्षम प्राधिकार को भुगतेय राशि, उक्त प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा एवं अन्य व्यय संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

(v) अंततोगत्वा मदांतर्गत शेष/वांछित अतिरेक राशि संवेदक के एकरारित राशि से सामंजन करते हुए आवश्यकतानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19. योजना पूर्ण होने के पश्चात् इसके परिचालन हेतु अधिकतम 13.20 MW विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ऊर्जा विभाग से समन्वयन कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

20. संवेदक द्वारा पूर्ण योजना विभाग को हस्तांतरण के पश्चात सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2014 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में जल भागीदार संगठन (Water User Association, WUA) निधि से क्रमेण चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार विद्युत आपूर्ति सहित अन्य संचालन एवं रखरखाव संबंधी शत प्रतिशत व्यय भारित होगा।

21. योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित संवेदक द्वारा योजना के विस्तृत सूत्रण, कार्यान्वयन तथा संचालन में नियमानुसार किसानों की सक्रिय सहभागिता ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

22. संबंधित क्षेत्र में उपयुक्त Cash Crop को बढ़ावा देने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ समन्वयन स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

23. प्रस्तावित योजना में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से Micro Irrigation का भी प्रावधान करने हेतु सम्भाव्यता एवं किफायत (cost effectiveness) के आधार पर योजना का विस्तृत सूत्रण किया जायेगा।

24. योजनांतर्गत प्रयुक्त प्रमुख सामग्रियों की मजबूती एवं टिकाऊपन के मद्देनजर महत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा सुयोग्य निर्माता/आपूर्तिकर्ता को सूचीबद्ध करते हुए उनसे आपूर्ति लेने का प्रावधान किया जा सकेगा।

25. जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2022–23 के बजट में नई एवं चालू वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए बजट शीर्ष 49–S–4701–80–001–77–00–05–45 में रु० 29000.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

26. इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022–23 में प्रारंभ किया जायेगा तथा इस योजना पर होने वाला व्यय नई एवं चालू वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए प्रावधानित उपर्युक्त बजट शीर्ष के अधीन विकलनीय होगा।

27. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी उप कोषागार, मधुपुर, देवघर से की जाएगी।

28. इस कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे।

29. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निम्नांकित निर्देश के साथ स्वीकृति दी गयी है:–

i) Water use efficiency बढ़ाने हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के समन्वय से Micro Irrigation का सूत्रण ससमय करा लिया जाय।

ii) Monthly milestones निर्धारित करते हुए Monitoring की जाय, जिससे ससमय योजना पूर्ण हो सके।

iii) प्रशासी विभाग सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली–2014 के तहत उपयुक्त User Charge का निर्धारण इस प्रकार से करेगा कि योजना अंतर्गत विद्युत आपूर्ति एवं परिचालन तथा रख–रखाव का शत–प्रतिशत व्यय भारित हो सके।

30. योजना प्राधिकृत समिति के उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

32. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

33. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

34. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

35. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

36. प्रस्ताव पर योजना एवं विकास विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

37. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

38. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 30.03.2022 के मद संख्या– 57 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

39. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

40. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

31/03/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/ कार्य/468/2022...66/21-22 ५.६८/राँची, दिनांक– 31.03.2022

प्रतिलिपिः– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड/ वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथोक्त।

31.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/ कार्य/468/2022...66/21-22 ५.६८/राँची, दिनांक– 31.03.22 प्रतिलिपिः– उप कोषागार, मधुपुर, देवघर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

D:\Anchal-3\Sikatia Pipe Line Scheme\AA_Sikatiya.doc

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/ कार्य/468/2022–66/21-22 ध.ले./राँची, दिनांक– 31.03.2022 प्रतिलिपिः–
सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, मधुपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रिकटिया/ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.03.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/ कार्य/468/2022–66/21-22 ध.ले./राँची, दिनांक– 31.03.2022 प्रतिलिपिः–
आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका/ सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31.03.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/ कार्य/468/2022–66/21-22 ध.ले./राँची, दिनांक– 31.03.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.03.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

D:\Anchal-3\Sikatia Pipe Line Scheme\AA_Sikatiya.doc